COVID-19 टीके —

कर्मचारियों के लिए कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जानकारी

क्या मुझे टीका लगवाने के लिए विवश किया जा सकता है?

आपको टीका लगवाने या अपनी इच्छा के विपरीत कोई चिकित्सीय कार्यविधि कराने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है।

परन्तु, कुछ मामलों में, हो सकता है कि ऐसे जन स्वास्थ्य आदेश जारी किए जाएँ जो उच्च खतरे वाले उद्योग में काम करने के लिए आपके लिए टीकाकरण कराना आवश्यक बनाएँ। अपनी स्वास्थ्य एजेंसी की सलाह की ताजा जानकारी रखें।

क्या मेरा नियोक्ता कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों के अधीन मेरे लिए COVID-19 के खिलाफ टीकाकरण कराना आवश्यक बना सकता है?

अधिकांश कर्मचारियों के लिए, आपका नियोक्ता आपके लिए कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों के अधीन टीकाकरण कराना आवश्यक बनाने में सक्षम नहीं होगा।

परन्तु, हो सकता है कि अपवाद हों, विशेषकर यदि आप ऐसे उद्योगों में काम करते हों जहाँ चपेट में आने का खतरा अधिक हो। ऐसे विशिष्ट जन स्वास्थ्य आदेश भी जारी किए जा सकते हैं जो आपके लिए टीकाकरण कराना आवश्यक बनाएँ।

यदि आपका नियोक्ता आपके लिए टीकाकरण करना आवश्यक बनाता है, तो उन्हें आपको जानकारी और सामग्री प्रदान करनी होगी ताकि आप सोच-समझ कर फैसला ले सकें। यदि आपकी चिंताएँ हैं तो अपने चिकित्सीय व्यवसायी से बात करें। सहायता के लिए अपने कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियामक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि या कर्मचारी संगठन से संपर्क करें।

अपने कार्यस्थल अधिकारों के बारे में जानकारी के लिए, Fair Work Ombudsman से बात करें।

कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों के अधीन मेरा क्या कर्तव्य है? क्या इसका यह अर्थ है कि मुझे टीकाकरण कराना होगा?

एक कर्मचारी के तौर पर, आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें और कोई ऐसा कदम न उठाएँ जिससे काम पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यथोचित तौर पर जितना संभव हो सके, आपको अपने नियोक्ता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के यथोचित निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

यदि कोई ऐसा कानून या जन स्वास्थ्य आदेश है जो आपके लिए टीकाकरण कराना आवश्यक बनाता है, तो हो सकता है कि आपको उस उद्योग में काम करने या काम करना जारी रखने के लिए टीकाकरण कराना पड़े।

क्या मेरे कार्यस्थल पर टीकाकरण कराना अनिवार्य बनाने से पहले मेरे नियोक्ता को मुझसे बात करनी होगी?

हाँ। यदि आपका नियोक्ता अनिवार्य टीकाकरण नीति पर ग़ौर कर रहा है, तो उनके लिए यह ज़रूरी है कि वे कोई कदम उठाने से पहले आपके तथा आपके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि, यदि कोई हो तो, से सलाह करें। यदि किसी कारणवश आप टीकाकरण नहीं करवा सकते/सकती हैं, तो आपको उन्हें बताना चाहिए।

मुझे टीका लगाया गया है। क्या मुझे फिर भी शारीरिक दूरी और हाथ धोने जैसे अन्य उपाय करने की ज़रूरत है?

हाँ। एक सुरक्षित और प्रभावी टीका समुदाय को सुरक्षित और स्वस्थ रखने का एक भाग है। COVID-19 के फैलाव को रोकने के लिए इन चरणों को जारी रखें:

- जन स्वास्थ्य आदेशों का अनुपालन करें
- अस्वस्थ होने पर, COVID-19 के लक्षण होने पर या यदि आपको स्वास्थ्य अधिकारियों ने घर पर रहने के लिए कहा हो तो काम पर न जाएँ
- सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए यथोचित तौर पर जो संभव हो सके, वे काम करें, इसमें COVID-19 के लिए स्थापित नियंत्रणों का अवलोकन करना शामिल है जैसे कि शारीरिक दूरी और साफ-सफाई
- निर्देशों का अनुपालन करें
- यदि आपको पक्का पता नहीं है कि सुरक्षित तौर पर काम कैसे करना है तो पूछें
- दस्ताने जैसे व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (PPE) का प्रयोग उस तरीके से करें जैसे इसका प्रयोग करने के लिए आपको प्रशिक्षित और निर्देशित किया गया था
- किसी असुरक्षित परिस्थिति की सूचना अपने सुपरवाइज़र या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि को दें

और अधिक जानकारी

- स्वास्थ्य एवं टीका जानकारी - स्वास्थ्य विभाग
- कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा - Safe Work Australia
- कार्यस्थल अधिकार - Fair Work Ombudsman